24122024-DTM-05_27DT02A.qxd 12/23/2024 10:18 PM Page 1

जनता कैंप के दौरान एक्शन मोड में दिखे मंत्री अनिल विज

मामला दर्ज नहीं करने वाले कैंट थाने के एसएचओ सस्पेंड

अम्बाला, 23 दिसंबर (हप्र)

हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज आज जनता कैंप के दौरान एक्शन मोड में दिखे। पिछले जनता कैंप में उनके द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना नहीं करने वाले अम्बाला कैंट थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर सतीश कुमार को उन्होंने सस्पेंड करने के निर्देश दिए।

जनता कैंप में मंत्री अनिल विज ने एसएचओ को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि दुकानों की खरीद-फरोख्त में हुई धोखाधड़ी के इस मामले में अब तक पुलिस द्वारा केस क्यों दर्ज नहीं किया गया] जबकि जनता कैंप में उन्होंने प्रार्थी महिला की शिकायत पर केस दर्ज करने के निर्देश दिए थे। इस संबंध में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने डीजीपी हरियाणा से फोन पर बातचीत करते हुए एसएचओ को सस्पेंड करने के निर्देश जारी किए। जनता कैंप में कैबिनेट मंत्री अनिल विज के समक्ष प्रस्तुत हुई महिला ने आरोप लगाया था कि बाजार में उसकी दुकानों को आरोपी ने दबाव बनाकर कम दामों में खरीद लिया था। पूर्व में महिला ने यह शिकायत जनता कैंप में अनिल विज को सौंपी थी] जिस पर कैंट थाने के एसएचओ सतीश कुमार को मंत्री अनिल विज ने केस दर्ज करने के निर्देश दिए थे। मगर अब तक केस दर्ज नहीं होने पर उन्होंने आज एसएचओ को सस्पेंड करने के निर्देश दिए।

अंबाला छावनी के रेस्ट हाउस में सोमवार को जनता की शिकायतें सुनते मंत्री अनिल विज। -हप्र

बोले, 'एक सप्ताह में हो शिकायतों पर कार्रवाई'

जनता कैंप के दौरान ऊर्जा व परिवहन मंत्री अनिल विज ने पूरे एक्शन मोड में दिखे। कैंप के दौरान मौजूद अधिकारियों को उन्होंने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जो शिकायतें कैंप में आती हैं, उन पर अधिकारी तेजी से कार्रवाई करें और एक सप्ताह के भीतर शिकायत का निपटान करें ताकि अगले कैंप से पहले प्रार्थी की शिकायत बंद हो सके। खुले में मांस बेचने वालों के खिलाफ संयुक्त टीमें बनाकर मंत्री अनिल विज ने कार्रवाई के निर्देश दिए। जनता कैंप के दौरान खुले में मांस बेचने के मामले की शिकायत कैबिनेट मंत्री अनिल विज के समक्ष पहुंची थी। जनता कैंप में परिवहन मंत्री अनिल विज के समक्ष ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अपने वाहनों को खड़ा करने के लिए ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की मांग की। उनकी मांग थी कि एक स्थान पर बड़े वाहन खड़े हो सके ऐसी व्यवस्था की जाए। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने निर्माणाधीन रिंग रोड के आसपास कोई उपयुक्त स्थान देखने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने गलत लेन में वाहन चलाने वाले ट्रक चालकों पर भी सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने चालक का लाइसेंस रद्द करने एवं अन्य प्रावधान करने की मांग परिवहन मंत्री से की। आज जनता कैंप में हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, भाजपा नेता बब्बू सोनी, श्याम सुंदर अरोड़ा, आशीष अग्रवाल, भरत कोछड़, बीएस बिंद्रा सहित अन्य मौजूद रहे।

कॉलेज के दीक्षांत समारोह में स्नातकों को प्रदान की डिग्रियां

बरवाला, 23 दिसंबर (निस)

नेशनल कॉलेज ऑफ आयुर्वेद में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कॉन्फेड के मैनेजिंग डायरेक्टर आईएएस अधिकारी डॉ. राहुल नरवाल उपस्थित हुए।

उन्होंने दीप प्रज्वलित करके समारोह का शुभारंभ किया और स्नातकों को डिग्रियां प्रदान की। संस्थान के डायरेक्टर कृष्ण दूहन ने आईएएस अधिकारी डॉ. राहुल नरवाल का स्वागत किया, वहीं प्रिंसिपल डॉ. त्रिभुवन पारीक ने संस्थान की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुख्य अतिथि डॉ. राहुल नरवाल ने स्नातकों को डिग्री प्रदान की तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। इस मौके पर कृष्ण दूहन, प्रो. मनदीप मलिक, मैनेजमेंट कमेटी सदस्य विमला दूहन, डॉ. करीना, लीगल एडवाइजर अक्षय दूहन, डॉ. मंजीत फोगाट, डिप्टी डायरेक्टर दुलीचंद शास्त्री, वाइस प्रिंसिपल सुनील दलाल आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे।

बरवाला में दीक्षांत समारोह में स्नातकों को डिग्रियां प्रदान करते कॉन्फेड के एमडी डॉ. राहुल नरवाल। -निस

पार्षदों, कर्मचारियों के साथ मिलकर पेड़ों पर किया रंग

सफाई अभियान चलाकर जिला परिषद परिसर को किया चकाचक

कैथल, 23 दिसंबर (हप्र)

जिला परिषद परिसर में सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सफाई अभियान की शुरुआत की गई।

जिप चेयरमैन कर्मवीर कौल ने वार्ड पार्षदों, अधिकारी व कर्मचारियों के साथ मिलकर सफाई अभियान चलाया। परिसर में पड़ी मिट्टी व ईंटों की करीब 15 ट्राली को एक जगह एकत्रित किया।

इसके बाद पेड़ों पर तिरंगा रंग किया गया। स्वयं चेयरमैन ने एक पेड़ को तिरंगा रंग में रंगते हुए इस अभियान की शुरुआत की। करीब तीन घंटे तक चले इस अभियान में चेयरमैन कर्मवीर कौल स्वयं ईंटे व मिट्टी का तसला उठाकर पार्षदों व कर्मचारियों का सहयोग किया। चेयरमैन के इस कार्य की लोगों ने सराहना की।

जिला परिषद चेयरमैन कर्मवीर कौल ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को 25 दिसंबर के दिन सुशासन दिवस के रूप में बनाया जाता है। अटल की जयंती के उपलक्ष्य में जिला परिषद परिसर में सफाई अभियान की शुरुआत की गई।

यह अभियान अब सभी पार्षद अपने-अपने गोद लिए गांव व वार्डों के अन्य गांव में भी लोगों को साथ लेकर सफाई अभियान चलाएंगे। इस अभियान को मुख्य उद्देश्य कार्यालय व गांव को साफ-सुथरा रखना है। कर्मवीर कौल ने बताया कि जिप कार्यालय का नवीनीकरण भी किया जाएगा। इस पर करीब तीन करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी। नये कमरों का निर्माण होने के साथ-साथ लिफ्ट भी लगाई जाएगी। वहीं दो मुख्यद्वार बनेंगे।

पार्किंग की भी व्यवस्था होगी, ताकि लोगों को अपने वाहन खड़े करने में किसी भी तरह की दिक्कत न आए।

कैथल में पेड़ों पर रंग करते जिला परिषद चेयरमैन कर्मवीर कौल व अन्य पार्षद। -हप्र

80 लोगों का स्वास्थ्य जांचा

स्वच्छता अभियान के साथ-साथ स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाया गया। इसमें स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों ने जिप चेयरमैन कर्मवीर कौल सहित पार्षदों, कर्मचारी व अधिकारियों के स्वास्थ्य की जांच की। शिविर में कुल 80 लोगों के बीपी व शुगर की जांच की गई।

पंचायत समिति बड़ागुढ़ा उपचेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित

बड़ागुढ़ा, 23 दिसंबर (निस)

बड़ागुढ़ा खंड पंचायत समिति के उप चेयरमैन गुरदेव सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। उपचेयरमैन गुरदेव सिंह के खिलाफ 19 पंचायत समिति सदस्यों ने वोट किए जबकि एक वोट रद्द हो गई। उपचेयरमैन के पक्ष में सिर्फ़ दो ही वोट पड़े। प्रशासन की ओर से इसकी रिपोर्ट ग्रामीण एवं पंचायत विभाग को भेजी जाएगी।

इसके बाद विभाग निदेशालय की ओर से नए पदाधिकारियों के चुनाव को लेकर आदेश तारीख तय की जाएगी। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर प्रशासन की ओर से बैठक के लिए सोमवार का दिन तय किया गया था।

कुछ दिन पहले पंचायत समिति सदस्यों की ओर से चेयरमैन व उप चेयरमैन पर विकास कार्यों में अनदेखी भेदभाव के आरोप लगाए थे। तय कार्यक्रम के अनुसार सभी सदस्यों को बीडीपीओ कार्यालय में वोटिंग के लिए बुलाया गया। बैठक के बाद वोटिंग हुई। एडीसी लक्षित सरीन की मौजूदगी में बड़ागुढ़ा बीडीपीओ की अध्यक्षता में सारी प्रक्रिया हुई।

खबर है...

सूर्यवंशी तरुण अरोड़ा बने कुरुक्षेत्र जिला अध्यक्ष

कुरुक्षेत्र (हप्र) : अखिल भारतीय संगठन ऑल इंडिया अरोड़ा खत्री पंजाबी कम्युनिटी के प्रदेश अध्यक्ष सूर्यवंशी औम प्रकाश चुघ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सूर्यवंशी कमल हांडा की अनुमति से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूर्यवंशी साहिब दयाल कथवा व राष्ट्रीय महासचिव सूर्यवंशी ज्योति कमल हांडा से विचार-विमर्श कर थानेसर निवासी सूर्यवंशी तरुण अरोड़ा को उनकी संगठन के प्रति लगन, मेहनत, समर्पण एवं कर्मठता को देखते हुए ऑल इंडिया अरोड़ा खत्री पंजाबी कम्युनिटी के कुरुक्षेत्र जिला अध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष को जिला के वरिष्ठ एवं सक्रिय सदस्यों, प्रदेश अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय नेतृत्व से विचार-विमर्श करके कुरुक्षेत्र जिला की सभी चारों विधानसभाओं क्रमशः थानेसर, पिहोवा, लाडवा व शाहाबाद में सामान्य, युवा व महिला विधानसभा अध्यक्षों व कार्यकारिणियों के गठन करने की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी गई।

नारायण सेवा संस्थान ने भेंट की व्हीलचेयर

कैथल में जरूरतमंदों को व्हीलचेयर व कानों की मशीन देते आयोजक। -हप्र

कैथल (हप्र) : नारायण सेवा संस्थान शाखा कैथल की मीटिंग में समाज सेवा के कार्यों बारे चर्चा की गई। दया गुप्ता मानव मंदिर नारायण सेवा केंद्र कैथल द्वारा जरूरतमंदों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेवाएं देने बारे भी बात की गई। सबसे पहले शाखा सचिव डॉ. अनिल जिंदल ने आए हुए सभी सदस्यों का स्वागत किया और नारायण सेवा केंद्र कैथल के निर्माण में सहयोग हेतु सभी का धन्यवाद किया। सहसचिव डॉ. नरेश गर्ग, डॉ. मनोज बंसल, ज्ञानचंद भल्ला, शेर सिंह एवं अन्य साथियों ने अपने अपने सुझाव रखे। संस्थान से जुड़े नये सदस्य एमडीएन ग्लोबल स्कूल के निदेशक डॉ. विनोद कुमार, कमल गुप्ता, विनय बंसल का पटका पहनकर स्वागत किया। शाखा संयोजक डॉ. विवेक गर्ग ने बताया कि 3 जरूरतमंद लोगों को व्हीलचेयर और 4 जरूरतमंद लोगों को कान की मशीन भेंट की गई। सहसंयोजक दुर्गा प्रसाद, प्रवीन जिंदल, बहादुर सैनी, कार्तिक जिंदल, विनीत मंगला, अशोक मंगला, जितेंद्र बंसल, सुमित चौधरी, धर्मपाल गर्ग, रजत बंसल, गगन चावला, ईश्वर गोयल, जयप्रकाश गर्ग, सुरेश बंसल, अशोक गर्ग, बीएम गुप्ता, नितिन सिंगला, प्रमोद गोयल, सतीश गर्ग, सोमनाथ, पंकज द्वारा ये उपकरण भेंट किए गए।

बैठक में ब्लाक, जिला व प्रदेश स्तरीय चुनाव का फैसला

गुड़ला चीका (निस) : रिटायर्ड कर्मचारी संगठन हरियाणा के राज्य स्तरीय चुनाव मार्च, 2025 में करवाये जाएंगे। यह फैसला हरियाणा रिटायर्ड कर्मचारी संगठन की हाई पावर कमेटी की बस स्टैंड कैथल परिसर में बाबूलाल यादव राज्य प्रधान की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में लिया गया। मीटिंग का संचालन राज्य महासचिव कुलभूषण शर्मा ने किया। मीटिंग में हाई पावर कमेटी के सदस्य बाबूलाल यादव व कुलभूषण शर्मा के अलावा पहल सिंह तंवर, राजपाल गूंसर, प्रेम सिंह सैनी, जयपाल यादव, निहाल सिंह मताना, महेंद्र सिंह यादव, रणवीर शर्मा, अजीत नेहरा ने भाग लिया। मीटिंग में सर्वसम्मति से रिटायर्ड कर्मचारी संगठन के त्रिवार्षिक चुनाव करवाए जाने का निर्णय लिया गया।

वसूली करने वाले गिरोह की महिला सहित दो काबू

पानीपत (हप्र) : पुराना औद्योगिक थाना पुलिस टीम ने एसपी लोकेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म का केस दर्ज करवाने का भय दिखा, जबरन वसूली करने वाले गिरोह की एक महिला सहित दो आरोपियों को काबू किया है। वसूली गई 5 लाख रुपये की नकदी में से आरोपियों के कब्जे से 4.50 लाख रुपये बरामद किये हैं। इसमें से पुलिस ने 3.50 लाख कैश और एक लाख रुपये आरोपियों का बैंक खाता सीज करके रुकवाये हैं। हनीट्रैप में गिरफ्तार की गई आरोपी युवती को जब पुलिस अदालत में पेश करने के लिये लेकर जा रही थी तो उसने कुछ मीडिया कर्मियों को देखकर चिल्लाते हुए कहा कि मेरे साथ रेप हुआ है। उसने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसको फंसाया है। इस बारे में थाना प्रभारी इंस्पेक्टर देवेंद्र से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि युवती आरोपी है और वह बचने के लिये पुलिस पर आरोप लगा रही है।

हरियाणवी लोकनृत्य में कलाकारों ने जमाया रंग

कैथल में सोमवार को प्रस्तुति देते लोक कलाकार। -हप्र

कैथल, 23 दिसंबर (हप्र)

कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा एवं फल्गु मंदिर सुधार समिति के संयुक्त तत्वावधान में फल्गु तीर्थ पर तीन दिवसीय लोक कला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहले दिन हरियाणवी लोकनृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक सतपाल जांबा, अध्यक्ष पद्मश्री महाबीर गुड्डू ने दीप प्रज्वलित कर किया। लोकगायन संध्या की शुरुआत लोक कलाकार बलराज ने की। लोक गायक राजकुमार ने अपनी टीम के साथ हरियाणवी लोकगीतों के गायन के साथ-साथ लोकनृत्य की सराहनीय प्रस्तुति दी। लोक कलाकार महाबीर गुड्डू ने उपस्थित दर्शकों के अनुरोध पर अतिथि प्रस्तुति दी। महाबीर गुड्डू ने बम लहरी और स्वतंत्रता सेनानी राजा नाहर सिंह के जीवन पर आधारित आल्हा की प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्रा शिवांशी ने शिव भजन की संगीतमय प्रस्तुति दी जबकि सैनिक पब्लिक स्कूल की छात्राओं सोनम और मनस्वी ने हरियाणवी लोकनृत्य की प्रस्तुति दी।

मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में लोककला महोत्सव के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा के महानिदेशक केएम मकरंद पांडुरंग को साधुवाद देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार सांस्कृतिक संवर्धन के लिए कृतसंकल्प है। कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य लोगों में समाजसेवी सीता राम राणा, संजीव राणा, मुकेश शर्मा, हर्ष राणा, कपिल सैनी तरसेम शर्मा के अतिरिक्त सैकड़ों दर्शक उपस्थित रहे।

डॉ. संजय गोयल प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत

कैथल (हप्र) : आरकेएसडी कॉलेज के प्रिंसिपल को सहायता प्राप्त कॉलेजों की कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत किया गया है। यह सम्मान डॉ. गोयल के शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान और संस्थान में उनके असाधारण नेतृत्व का प्रमाण है। प्रिंसिपल के रूप में डॉ. गोयल ने संस्थान के दृष्टिकोण और रणनीतिक दिशा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी समर्पण, विशेषज्ञता और शिक्षा के प्रति जुनून ने अनगिनत छात्रों, संकाय और कर्मचारियों को प्रेरित किया है। डॉ. गोयल का प्रोफेसर के रूप में पदोन्नति शैक्षिक उत्कृष्टता, नवीन शिक्षण विधियों और अनुसंधान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। चेयरमैन अश्वनी शोरेवाला ने कहा कि उनका नेतृत्व, दृष्टिकोण और शिक्षा के प्रति समर्पण हमारे संस्थान के लिए अमूल्य रहा है। प्रिंसिपल डॉ. गोयल ने चेयरमैन अश्वनी शोरेवाला, पूरे प्रबंधन, अपने परिवार, मित्रों और कॉलेज के समस्त कर्मचारियों को धन्यवाद दिया।

प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में बांटे कंबल

कैथल में सोमवार को कंबल वितरित करते क्लब के सदस्य। -हप्र

कैथल (हप्र) : प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र वाल्मीकि चौक नजदीक हिंद सिनेमा पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इसका संचालन केन्द्र के मालिक पंकज नारंग ने किया। कार्यक्रम में लायनेस क्लब कैथल के मेंबर के सहयोग से दिव्यांग लोगों को कंबल वितरित किए गए। इस अवसर पर लायनेस क्लब के सदस्य रितु गोयल, वीना भल्ला, सुलोचना गुप्ता, सुमन मित्तल, दुकान मालिक मुकेश नारंग, सोनू सैनी, गौरव चावला, हर्ष गोगिया, संदीप मानस आदि सदस्य मौजूद रहे।

pnb Housing Finance Limited

पंजी. कार्यालय : 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी.मार्ग, नई दिल्ली-110001,
फोन : 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com

त्रिवेंद्रम शाखा:–पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एफ 1, केईके टॉवर, प्रथम तल, त्रिवेंद्रम विकास प्राधिकरण के सामने, वज्रुथाकौड, त्रिवेंद्रम–695010।

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002, अद्यतन संशोधित, के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अध्याय ।।। की धारा 13(2) के अधीन सूचना

हम, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (इसमें आगे "पीएनबीएचएफएल" के रूप में वर्णित) ने वत्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसमें आगे "अधिनियम" के रूप में वर्णित) के अध्याय ।।। की धारा 13(2) अधीन मांग सूचना जारी की थी। उक्त मांग सूचना हमारे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्नवर्णित आप सब कर्जदारों/सह–कर्जदार/गारंटरों को जारी की गई थी, क्योंकि आपका खाता, किश्तों/ब्याज का भुगतान नहीं किए जाने के कारण, भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय आवास बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अनार्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उसकी विषयवस्तु आपके द्वारा मूलधन की किश्तों, ब्याज इत्यादि के भुगतान में की गई चूकों के साथ संबंधित है। बकाया राशि नीचे दी गई है। आगे, हमें कारणों के आधार पर विश्वास है कि आप मांग सूचना प्राप्त करने से बच रहे हैं और इसीलिए यह मांग सूचना प्रकाशित की जा रही है, जैसाकि उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन अपेक्षित भी है। एतद्द्वारा आपसे उक्त राशि, अद्यतन ब्याज तथा अन्य राशियों सहित, जो भुगतान की तिथि तक देय हो सकती हैं, इस मांग सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन की अवधि के भीतर पीएनबीएचएफएल को अदा करने की मांग की जाती है। जिसमें विफल रहने पर पीएनबीएचएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अधीन, किसी एक या अधिक या सभी प्रत्याभूत आस्तियों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेगा, जिसमें कर्जदारों तथा गारंटरों की प्रत्याभूत आस्तियों का कब्जा प्राप्त किया जाना शामिल है। आपका ध्यान वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है, जिसके तहत अधीन आप सम्पूर्ण बकाया राशि, पीएनबीएचएफएल द्वारा वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों तथा व्ययों सहित, का भुगतान सार्वजनिक नीलामी, जनता से कोटेशन, निविदा आमंत्रण द्वारा अथवा गुप्त समझौते द्वारा प्रत्याभूत आस्तियों की बिक्री की सूचना के प्रकाशन की तिथि तक ही कर सकते हैं। कृपया यह भी नोट करें कि यदि सम्पूर्ण बकाया राशि, पीएनबीएचएफएल द्वारा वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों तथा व्ययों सहित, का भुगतान सार्वजनिक नीलामी, जनता से कोटेशन, निविदा आमंत्रण द्वारा अथवा गुप्त समझौते द्वारा प्रत्याभूत आस्तियों की बिक्री की सूचना के प्रकाशन की तिथि तक नहीं किया जाता है, तो आप उसके पश्चात प्रत्याभूत आस्ति(यां) छुड़ाने के हकदार नहीं होंगे। आगे, आप के ऊपर, उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अधीन उपरोक्त प्रत्याभूत आस्तियों का बिक्री, पट्टा या किसी अन्य प्रकार से अंतरण करने के संबंध में, रोक लगी है।

क्र. स.	ऋण खाता सं.	कर्जदार, सह–कर्जदार का नाम / पता	प्लॉट का नाम और पता	बंधक सम्पत्ति	मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि
1.	HOU/TRI/0719/71879 5,HOU/TRI/0920/813820, बी.ओ. त्रिवेंद्रम	श्री सैम वसंत कुमार पुत्र जॉर्ज सैमकुट्टी 32 बीएन बीएसएफ, हिसार, हरियाना, हिसार, हरियाणा–131001 श्री सैम वसंत कुमार पुत्र जॉर्ज सैमकुट्टी पीपी VIII/250बी, वाझाकुडी विदू, मारुथन्नूर, चाइकोट्टुकोनम पो, तिरुवनंतपुरम, केरल– 695122 श्रीमती वसंता पत्नी दामोदरन पीपी VIII/250बी, वजहाकुडी वीदू, मारुथन्नूर, चाइकोट्टुकोणम पो, तिरुवनंतपुरम, केरल–695122	NA	भूमि का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल जिसका विस्तार 1.80 एरेस है, जिसमें आवास संख्या 474/36/1, पेरुकदाविला गांव, नेय्याट्टिनकारा तालुक, तिरुवनंतपुरम, केरल–695126, में भवन शामिल है, शीर्षक विलेख के अनुसार: पूर्व–सतीन्द्रन की संपत्ति, दक्षिण–सतीन्द्रन की संपत्ति और दूसरा पश्चिम–सैम कुमार की संपत्ति, उत्तर – सड़क	13.12.2024	13–12–2024 तक रु. 3258323 (रुपये बत्तीस लाख अट्ठावन हजार तीन सौ तेईस मात्र)

स्थान : त्रिवेंद्रम, दिनांकित : 23-12-2024 | प्राधिकृत अधिकारी, वास्ते पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

कार्यालय : पुलिस अधीक्षक, करनाल
(सार्वजनिक सूचना)

सर्वसाधारण को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि जिला करनाल में निम्न विर्णत अनुसार वाहन पुलिस विभाग द्वारा जब्त किये गए थे, जिनको थाना यातायात के अंतर्गत रखा गया था। सूची में शामिल वाहनों को थाना यातायात पुलिस टीम द्वारा जब्त कर थाना यातायात करनाल में रखा गया है। इन वाहनों व पंजीकृत वाहन मालिकों के उपलब्ध विवरण के आधार पर संबंधित वाहन मालिकों को नोटिस जारी किए गए थे। पुलिस के भरसक प्रयास के बावजूद इन वाहन मालिकों के पते के अभाव में इनको नोटिस तामील नहीं किए जा सके या वाहन मालिक नोटिस मिलने के बाद भी अपने वाहन पर दावा प्रस्तुत नहीं कर सके। नियमों के अनुसार इन वाहनों का निपटारा करना अनिवार्य है। सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंदर स्वामित्व के प्रमाण पत्र के साथ थाना यातायात में अपने वाहन पर दावा कर सकता है। इस सूचना की समयावधि समाप्त होने के बाद किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा व वाहनों का निपटान नियमानुसार किया जाएगा। वाहनों की सूची सलंग्न है।

थाना यातायात करनाल के अंतर्गत जब्त किए गए वाहनों की सूची :–

List of Impound Vehicle Complete 3 notice served PS Highway KNL

SR. No.	CH/NO	DATE	U/S207/MV/ACT	P S HIGHWAY	VEHICLE No.	CHASSIS No.	ENGINE No.	VEHICLE CLASS
1	-	23.08.24	U/S207/MV/ACT	P S	DL75BC-2932	MDZDDDZZZPPJ81950	DUUBPJS7013	PLATINA
2	HR4756231022170351	22.10.23	U/S207/MV/ACT	HIGHWAY	HR45C-1488	MBX0003MFXE849513	A9D1298411	AUTO
3	HR4756240906110914	06.09.24	U/S207/MV/ACT	P S	HR05AA-6923	MBLHA12EFA9B00883	HA12ECA9B00860	SPLENDER-NXG
4	HR5004240725202113	25.07.24	U/S207/MV/ACT	HIGHWAY	HR05T-5412	MD625KF5561L33489	AF5L61662147	TVSSTAR CITY
5	HR4756240614202155	14.06.24	U/S207/MV/ACT	P S	HR05AT-5718	MD626BG40G3H10760	BG4HG2310680	TVS JUPITOR
6	-	02.06.24	U/S207/MV/ACT	HIGHWAY	-	MD2A11CY6KRD12568	-	PULSUR
7	HR4756240327193221	27.03.24	U/S207/MV/ACT	P S	HR05Z-5467	MD2DDDZZZSPJ82172	DUUBSJ86020	PLATINA
8	HR192003240620173552	20.06.24	U/S207/MV/ACT	HIGHWAY	HR05T-6354	06J16F42922	06J15E47591	SEPLENDER
9	HR192003240616125915	16.06.24	U/S207/MV/ACT	P S	HR05AW-9074	ME4F507CH8002476	JF50E85002333	ACTIVA
10	HR5004240624154551	24.06.24	U/S207/MV/ACT	HIGHWAY	HR05AL-5431	MD625MF57E3A89734	DF5AE1093809	TVS /SPORTS
11	-	27.06.24	U/S207/MV/ACT	P S	HR05U-1396	MD2DDDZZZNWM21966	-	PLATINA
12	-	19.06.24	U/S207/MV/ACT	HIGHWAY	RJ05SD-5073	MBLHA10EE89F36787	HA10EA89F45090	SEPLENDER+
13	HR4756240331105634		U/S207/MV/ACT	P S	HR08F-7493	05L16F14322	05L15E14307	SEPLENDER+
14	HR192003231228101038	28.12.23	U/S207/MV/ACT	HIGHWAY	HR08H-8175	MD2DDDZZZPPM48259	DUUBPM23788	PLATINA
15	-	24.06.24	U/S207/MV/ACT	P S	HR05AN-4538	WVCA6192990860	473030SUA00998	PLATINA

प्रवक्ता करनाल पुलिस,
कृते : पुलिस अधीक्षक,
करनाल।

PRDH/1084/11/2945/2025/31218/11/4

TATA

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11 वीं मंजिल, टॉवर ए, पैनीनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग लोवर परेल, मुम्बई-400013.
शाखा कार्यालय : प्रथम व द्वितीय मंजिल, एससीओ 142, हूडा मार्किट, सेक्टर-13, करनाल, हरियाणा

अचल संपत्ति की बिक्री हेतु सूचना
(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 9 (1) के साथ पठनीय नियम 8(6) के तहत)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) एवं नियम 9 (1) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतीकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु 30 दिनों की ई-नीलामी सूचना।

एतद्द्वारा सर्व सामान्य और विशेषकर अधोलिखित कर्जदार और/सह-कर्जदार या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों (कर्जदारों) को सूचित किया जाता है कि **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. (टीसीएचएफएल),** को बंधक अधोलिखित अचल संपत्ति जिसका टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिया गया, अधोलिखित कर्जदार और सह-कर्जदार से कुल बकाया राशि की वसूली के लिए 'जो है जहां है' और 'जहां है, जैसा भी है' और 'जो भी है' आधार पर दिनांक **28.01.2025** को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि जमा निम्न वर्णित है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बिक्री के किसी स्थगन/ बाधा के अभाव में उक्त संपत्ति ई-नीलामी के माध्यम से दिनांक **28.01.2025 को अपराह्न 2 बजे** बिक्री की जायेगी। संपत्ति खरीद के लिए मुहरबंद ई-नीलामी हेतु ईएमडी राशि का डिमांड ड्राफ्ट टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक **27.01.2025 को समय शाम 5 बजे** तक शाखा कार्यालय : **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड,** प्रथम व द्वितीय मंजिल, एससीओ 142, हूडा मार्किट, सेक्टर-13, करनाल, हरियाणा में प्राप्त किए जायेंगे।

प्रत्याभूत संपत्ति/अचल संपत्ति की बिक्री 'जैसी है जहां है शर्त' निम्न अनुसूची में उल्लिखित संक्षेप विवरणों के अनुसार होगी।

क्र. नं.	ऋण खाता नं. एवं शाखा	ऋणी/सह-ऋणी/ कानूनी वारिस/ कानूनी प्रतिनिधि/ जमानतदारों के नाम	मांग सूचना के अनुसार राशि	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि	कब्जे की किस्म	दिनांक 17.12.2024 के अनुरूप बकाया राशि
1.	TCHHL07300001001000230 & TCHIN0730000100103120	श्री सत्यवीर सिंह पुत्र श्री बल्ले राम श्रीमती गीता चौहान पत्नी श्री सत्यवीर सिंह	रु. 10,76,552/- (केवल रुपये दस लाख छिहत्तर हजार पांच सौ बावन) लोन अकाउंट नं. TCHHL0730000100100230 के तहत आपके द्वारा देय है तथा रु. 33,773/- (केवल रुपये तैंतीस हजार सात सौ तिहतर) लोन अकाउंट नं. TCHIN0730000100103120 के तहत आपके द्वारा देय है अर्थात कुल रु. 11,10,325/- (केवल रुपये ग्यारह लाख दस हजार तीन सौ पच्चीस) 12.02.2024	रु.13,15,